संख्या-1147/2026/739/22-2-2026-17(608)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक 01 सितम्बर,2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी यूनुस पुत्र श्री अब्दुल रशीद, निवासी जनपद-बिजनौर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 23-02-2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी यूनुस पुत्र श्री अब्दुल रशीद, जो मौहल्ला बुखारा, थाना-कोतवाली शहर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनाक 06.06.2001 को पीड़ित के घर में घुसकर छुरी से प्रहार करके तमजीन, जाहिद एवं कु० शाहना नामक लोगों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-497/2001, भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के दण्डादेश दिनांक 28.10.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2025 तक अपरिहार 24 वर्ष, 03 माह, 09 दिन तथा सपरिहार 30 वर्ष, 09 माह, 10 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति व समाज को प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपर्युक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा पुलिस अधीक्षक, बिजनौर की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 25.09.2025 तक बन्दी की आयु 44 वर्ष, 09 माह, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध एवं प्रकृति (03 लोगों की हत्या किये जाने) तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी यूनुस (बन्दी संख्या-42592) पुत्र श्री अब्दुल रशीद, निवासी जनपद-बिजनौर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1147/2026/739(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।